

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

नेशनल लोक अदालत का आज 12 दिसम्बर शनिवार को आयोजन संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट बकायादार 3 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 11 दिसम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 दिसम्बर 2020 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- से अधिक तथा रुपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/12/2020 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 दिसम्बर 2020 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

फुटेज के आधार पर डालूमोदी बाजार के राजेन्द्र राठौर पर किया जुर्माना मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 11 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डालू मोदी बाजार के राजेन्द्र राठौर पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर विरेन्द्र यादव चौमुखी पुल पर 5000 व गणेश गुर्जर चौमुखी पुल पर 2000 का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

नगर के 3 नालो की सफाई का कार्य प्रारंभ

रतलाम 11 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 11 दिसम्बर शुक्रवार को चमारिया नाका, जवाहर नगर व शास्त्री नगर गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीन, डम्पर, व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 11 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 50 दिनों में 73 वॉल्व व 381 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 11 दिसम्बर | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 11 दिसम्बर तक 73 वॉल्व व 375 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 11 दिसम्बर शुक्रवार को ऑफिसर कालोनी, आनन्द कालोनी, मिल्लत नगर, आनन्द कालोनी हनुमान मंदिर के सामने, हाट रोड दरगाह के सामने व महावीन नगर गैस गोडाउन के पास पाईप लाईन लीकेज के साथ ही सुदामा परिसर की गली नम्बर 1 व 3 में पाईप लाईन के चाक को खुलवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

सोमवार को महावीर नगर में लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 37,05,253/- संपत्तिकर व 10,13,125/- जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 11 दिसम्बर | शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार्ड बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/- व जलकर 31,700/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/- व जलकर 13,500/-, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/- व जलकर 29,500/-, डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/- व जलकर 80,000/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/- व जलकर 24,800/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/- व जलकर 46,350/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/- व जलकर 45,500/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/- व जलकर 90,310/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/- व जलकर 1,58,845/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/- व जलकर 24,500/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,31,093/- व जलकर 68,580/- की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 37,81,253/- संपत्तिकर व 10,37,725/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के तहत वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करों की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 4 मवेशी स्वच्छंद विचरण करने वाले 380 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 11 दिसम्बर | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 11 दिसम्बर तक 380 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर क्रय किया गया जिससे 12 मवेशियों को नगर के प्रमुख स्थानों से पकड़कर गौशाओं में भेजा गया। नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 11 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 380 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 11 दिसम्बर शुक्रवार को बाजना बस स्टैण्ड, दीनदयाल नगर, धीरजशाह नगर क्षेत्र से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर

तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/11.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.